गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकि (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 [पीसी-पीएनडीटी अधिनियम] के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 16.11.2016 के निर्देशों के अनुपालन में सार्वजनिक सूचना

पीसी-पीएनडीटी अधिनियम, 1994 की धारा 22 में गर्भधारण पूर्व तथा प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण अथवा लिंग चयन से संबंधित **इंटरनेट सहित** किसी भी रूप में किसी भी विज्ञापन का निषेध किया गया है।

किसी भी उल्लंघन के लिए 3 साल तक का कारावास तथा 10,000 रूपए तक का जुर्माना

माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) सं0 341/2008 में दिनांक 16.11.2016 के आदेश के द्वारा पीसी-पीएनडीटी अधिनियम, 1994 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए संघ सरकार को इंटरनेट पर गर्भधारण पूर्व तथा प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण अथवा लिंग चयन से संबंधित ई-विज्ञापनों को विनियमित करने तथा हटाने के लिए एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में एक नोडल एजेंसी का गठन करने का निर्देश दिया है।

तदनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा नोडल एजेंसी का गठन किया गया है तथा निम्नानुसार पदनामित किया गया है:

नोडल एजेंसी
राष्ट्रीय परिवार कल्याण संस्थान
नई दिल्ली

नोडल अधिकारी: 1. डॉ. चेतना चौहान,
मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ)

2. डॉ. गीतांजली सिंह,
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (एसएमओ)
दूरभाष नं. 011-26165959/ 26107773/ 26166441/ 26185696
एक्स्टेंशन नं.-125
ई-मेल: pcpndtcomplaints@nihfw.org
chetnachouhan@nihfw.org
geetanjaly@nihfw.org

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, कोई भी (कोई व्यक्ति) किसी ऐसे विज्ञापन को देखता है जिसमें प्रसव पूर्व और जन्म पूर्व लिंग निर्धारण या लिंग चयन जैसा कुछ हो अथवा जिसमें किसी **सर्च इंजन या वेबसाइट (जैसे कि गूगल, याहू, बिंग या किसी अन्य सर्च इंजन)** पर किसी भी रीति, विधि या तरीके से लड़का या लड़की होने की पहचान का प्रयास किया गया हो तो इसे **नोडल एजेंसी** के ध्यान में लाए। यह सूचना ई-मेल या फोन या ऊपर दिए गए संपर्क सूत्र के जरिए **नोडल एजेंसी** को भेजी जा सकती है।